है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.03.17 को पेश हो।

8-3-17 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वाद वादी निर्णित किया जाकर उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक-दूसरे के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
[illegible] (राज०)